

सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151344/2022

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हो/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र चितरंगी, माड़ा, बैढन एवं गोखी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमिगत पाईप लाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

क्रमांक	जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में
1	सिंगरौली	सिंगरौली	चितरंगी	आरएफ. 57	0.1114
2				पीएफ. 83	0.0827
3				पीएफ. 85	0.0274
4				पीएफ. 81	0.049
5				पीएफ. 77	0.0324
6				पीएफ. 89	0.0217
7				पीएफ. 88	0.0219
8				पीएफ. 75	0.0081
9				पीएफ. 886	0.1266
10				पीएफ. 74	0.0434
11				पीएफ. 72	0.1457
12				पीएफ. 65	0.0305
13				पीएफ. 64	0.0272
14			माड़ा	आरएफ. 424	0.1300
15				पीएफ. 548	0.0251
16				पीएफ. 454	0.0426
17				पीएफ. 429	0.0403

18					पीएफ. 425	0.0212
19					पीएफ. 427	0.0663
20				बैठन	आरएफ. 403	0.0050
21					आरएफ. 411	0.0920
22					आरएफ. 414	0.0230
23					आरएफ. 308	0.1955
24					आरएफ. 399	0.0908
25					आरएफ. 401	0.0345
26					आरएफ. 396	0.1578
27					आर.एफ. 397	0.0209
28					आर.एफ. 409	0.0455
29					आर.एफ. 413	0.0111
30					आर.एफ. 384	0.0369
31					आर.एफ. 309	0.1368
32					आर.एफ. 308	0.0317
33					आर.एफ. 307	0.0138
34					पीएफ. 256	0.0359
35					पीएफ. 279	0.0135
36				गोरबी	पीएफ. 194	0.1377
37					पीएफ. 144	0.0992
38					पीएफ. 145	0.0990
39					पीएफ. 147	0.0914
40					पीएफ. 181	0.0971
41					पीएफ. 166	0.0518
योग—						2.5744

उपरोक्त प्रभावित वन भूमि में से वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार कक्ष क्रमांक पीएफ 429, 425, 427 एवं आरएफ 424, 403, 399, 401, 396, 397, 409 हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वन मण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना में हाथी कारीडोर के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

(अ). 16.6(9)– कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेगे।

(ब). 16.6(10)– कारीडोर में स्थित कक्षों को यथासम्भव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यमावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की

		जाये। कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 2.5744 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है। वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर बैढ़न-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 2.5744 हे. वन भूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
--	--	---

तिथि : 13-06-2023

स्थान: रीवा

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा दृत्त,रीवा म.प्र.